राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनिपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– प. 47 / पंजीयन / रा.पै.मेडि.कौं / 2021 / 624 दिनांकः–26/5/21

सार्वजनिक सूचना

विषयः– राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स के पंजीयन प्रमाण–पत्रों को नवीनीकरण (Renewal) किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सर्व साधारण व समस्त पंजीकृत पैरामेडिकल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के विनियम 2014 के नियम 47 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र को नवीनीकरण (Renewal) किये जाने का प्रावधान है। विनियमों के अनुसार प्रमाण पत्र नवीनीकरण (Renewal) के लिए प्रमाण पत्र की अन्तिम वैधता तिथि से तीन माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, इसके अभाव में शास्ति राशि लगाई जा रही है। कोविड–19 के प्रसार को देखते हुए प्रमाण पत्र नवीनीकरण (Renewal) कराने के लिए वैद्यता तिथि तक पंजीयन प्रमाण–पत्र मय शुल्क जमा कराने पर अब 500/– शुल्क को हटाया जाता है।

(उत्तम सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार